हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

01.04.2026/1100/बी.एस./वाई.के./1

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं प्रश्न काल आरंभ करूं। मुझे यानी विधान सभा सचिवालय को नियम-67 के अंतर्गत 9:30 बजे पूर्वाह्न माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जोकि इस प्रकार है- "सरकार द्वारा पिछले कल शाम को पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर में जिला उपायुक्त को 5 परसेंट परिवर्तन करने का प्रावधान" से संबंधित है। वैसे तो I don't know that this Rule-67 अभी at this stage applicable होगा और वैसे भी आप सबको याद होगा कि हमने धर्मशाला में नियम- 67 पर एक निर्णय लिया था ...(व्यवधान) जिसमें मैंने एक रूलिंग दी थी और मैंने यह कहा था कि नियम- 67 का जो स्थगन प्रस्ताव है वह अगर एडमिट होता है तो उसी दिन प्रश्न काल के बाद उसे चर्चा में लाया जा सकता है यानी If admitted तो उस पर उसी दिन उस पर चर्चा होगी और खत्म भी होगा। इस प्रस्ताव पर दो या तीन दिन तक लगातार चर्चा नहीं होगी। This I have ruled on 27th November, 2025 at Dharamshala. In view of this and so far this Adjournment Motion is concerned. I think this issue can be discussed under other Rules. You can give a notice under Rule-62 or Rule-130 and we will certainly give you a chance to discuss this issue. But I don't think there is any necessity or the requirement as per our Rules. That the same has to be discussed just now before the Question Hour. So, I will be allowing you after the Question Hour to raise this issue and thereafter we decide, whether it is to be admitted or not to be admitted, whether it is to be discussed today or afterwards. So, after the Question Hour I will be permitting this issue. ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)...

01.04.2026/1100/बी.एस./वाई.के./2

अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर मैंने सारी बात कह दी है। मैंने आपके नोटिस...(व्यवधान)... को न एडमिट किया है और न रिजेक्ट किया है।...(व्यवधान)... प्रश्न काल के बाद you can raise this issue फिर उसके बाद इसकी एडमिशन पर मैं डिसाइड करूंगा क्वेश्चन अवर के बाद whether this notice is to be admitted or not. इसे एक घंटे तक पेंडिंग रख रहा हूं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव के महत्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझ गया हूं कि आपका विषय महत्वपूर्ण है इसलिए मैं एक घंटे तक इसे पेंडिंग रख रहा हूं और आपकी बात को 12:00 बजे अपराह्न के बाद सुनूंगा।...(व्यवधान)...

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

01.04.2026/1105/डीटी/वाईके-1

अध्यक्ष... जारी

मैं समझ गया कि आपका विषय महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आते ही आपकी बात सुनी ...(व्यवधान) मैं स्वयं आपकी बात 12 बजे सुनूंगा। ...(व्यवधान) नियम-67 का मतलब यह तो नहीं है कि सदन को स्थगित कर दिया जाए।...(व्यवधान) ऐसा है माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, I have to see कि ये जो एडजोर्नमेंट मोशन आपने दिया है क्या इसके लिए वास्तव में ही आज के सारे बिजनैस को सस्पेंड करके इसको डिस्कस करने की जरूरत है? ...(व्यवधान) मैं यह नहीं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) ऐसा है माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, अभी प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान) प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान) आप इनसिस्ट मत कीजिए। ...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूं कि आपको 12.00 बजे अपराह्न बोलने का पर्याप्त समय दूंगा।

(**विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर** अपनी बात रखने लगे।)

मैं इस रूल-67 के इश्यू को डेफर कर रहा हूं, मैं इसे स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम इश्यू पर 12.00 बजे निर्णय लेंगे। ...(व्यवधान) मैं डेफर नहीं कर रहा हूं। हम प्रश्नकाल के बाद इस इश्यू को आज ही टेक-अप करेंगे। नियम-67 का मतलब है कि आज का सारा बिजनैस स्थगित कर दिया जाए परंतु मैं महसूस करता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस इश्यू को आप 12.00 बजे रेज कर सकते और मैं सुनूंगा। Thereafter, whether it is to be admitted or not to be admitted, I will decide that on at 12 O'clock. तो फिर मुझे प्रश्नकाल प्रारंभ करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आपके इश्यू के बारे में मैंने स्वयं बोल दिया है। मैंने कहा कि I have received a notice under Rule-67 और यह प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने दिया है। इसमें मेरी यह रूलिंग है और अभी मैं इसको at this stage चर्चा में नहीं ला रहा हूं। 12.00 बजे अपराह्न I will give the opportunity to both the sides. ...(Interruption) माननीय नेगी जी बैठ जाइए। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) Please take your seats. I will be allowing Hon'ble Member, Shri Randhir Sharma Ji. ...(Interruption) Please take your seats. अभी आप रुकिये। अभी यहां से मुख्य मंत्री जी बोलना चाह रहे

01.04.2026/1105/डीटी/वाईके-2

हैं। ...(व्यवधान) Obviously, when the Leader of the House wants to intervene or speaks than the Rules otherwise says that he has a precedence to speak. माननीय मुख्य मंत्री महोदय। ...(व्यवधान) हम इनकी बात सुन लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ...(व्यवधान) ...(व्यवधान) इनको सुन लेते हैं। ...(व्यवधान) मैं किसी के दबाव में नहीं आता।

(पक्ष व **विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर** नोकझोंक करने लगे।)

Let him speak first. ...(Interruption) एक मिनट बैठ जाइए। There is no opportunity to be revised it. There is no ...(Interruption) When you will create such kind of

ruckus, obviously the situation will aggravate as such. …(Interruption) I am adjourning the House till 11.30 am. Thank you.

01-4-2026/1110/AG-NG/1

Speaker continues . . .

…(Interruption) I am adjourning the House till 11.30 am.

01.04.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./1

(माननीय सदन की बैठक 11:30 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

Speaker: Let us decide Rule 67 first. Shri Randhir Sharma ji, what do you want to say?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांग्रेस सरकार इस वर्ष होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लगातार टालने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि ये चुनाव दिसम्बर-2025 के अंत में या जनवरी-2026 के शुरू में होने निर्धारित थे। प्रदेश सरकार ने उन चुनावों को टालने के लिए पहले राज्य चुनाव आयोग से टकराव लिया और प्रशासन को राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने दिया। चाहे उसमें वोटर लिस्टों को कलैक्ट करने की बात थी, चाहे रोस्टर जारी करने की बात थी या चाहे चुनाव सामग्री को कलैक्ट करने की बात थी। हर जगह प्रदेश सरकार ने प्रशासन को राज्य चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने से रोका है। उसके बाद दिनांक 08-10-2025 को डिसास्टर एक्ट लगाकर इन चुनावों को टालने की कोशिश की गई। प्रदेश सरकार ने तो इन चुनावों को अपनी तरफ से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने जो डिजास्टर एक्ट लगाया था, उस एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाले

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

01.04.2026/1135/ए0जी0/ए0पी0/-01

नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी ....

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाले गए। परंतु उस डिजास्टर एक्ट की सूचना जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी जी ने चुनाव आयोग को दी वह भी अपने आप में एक संवैधानिक संकट की बात थी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एक पार्लियामेंट द्वारा गठित सेल है। इसलिए डिजास्टर में जो चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन हैं वे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे परंतु सरकार ने ऐसा करने के लिए उन्हें बाध्य किया और इससे भी एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। जिसको लेकर कुछ लोग अदालत में गए। माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब देरी हो गई है इसलिए इन चुनावों को अप्रैल 2026 में करवाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि दिनांक 30 अप्रैल 2026 से पहले उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को चुनाव करवाने के निर्देश दिए। यह कोई राजनीति नहीं है, जब में राजनीतिक रूप में बोलूंगा तो आपका बैठना मुश्किल होगा। यह तो फैक्ट्स हैं कि हाई कोर्ट ने आपको दिनांक 30 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिये हैं परंतु हाई कोर्ट का वह निर्णय आने के बाद भी जो माननीय मुख्य मंत्री जी की जो स्टेटमेंट थी वह माननीय हाईकोर्ट का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि शायद हाई कोर्ट में डिजास्टर एक्ट को समझा नहीं गया। उसकी क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियम-67 का जो नोटिस आपने दिया है, आप सिर्फ उसी पर कंफाइन करें। जो कोर्ट्स की प्रोनाउंसमेंट्स हैं, whether it is High Court or the

Supreme Court, that is already in the public domain, need not to refer those judgments. आप जो नियम-67 लाए हैं, मतलब इसके पीछे क्या है।

श्री रणधीर शर्मा : उसी पर आ रहा हूं। पहले मैं भूमिका बांध रहा हूं।

अध्यक्ष : भूमिका छोड़िए, आप सब्जैक्ट मैटर पर बोलिए।

01.04.2026/1135/ए0जी0/ए0पी0/-02

श्री रणधीर शर्मा : ...(व्यवधान) नेगी जी, आप बजट पर बोलते-बोलते संघ पर बोलने लग जाते हैं। मैं तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) आप को बोलने का क्या अधिकार है? आप स्वयं क्या बोलते हो?

Speaker : Please, please. Let me decide it. ...(व्यवधान) चलिए-चलिए, प्लीज-प्लीज। नेगी जी प्लीज। माननीय सदस्य आप कृपया नियम-67 पर बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह भी सच्चाई है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार इन चुनावों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पंचायती राज के चुनाव तो हो रहे हैं। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी प्लीज। ...(व्यवधान) I am trying that he should come to Rule 67. ...(Interruption) In a lighter vein, let us discuss this. To accept it or reject it is another matter.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि सच कड़वा होता है। अब यह कितना कड़वा है, अब यह पता लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। अब सरकार की क्या मंशा थी, मैं इस पर नहीं बोलता, ये कहेंगे राजनीति कर रहा है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 31 मई से पहले चुनाव करवाइए और 31 मार्च से पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, जिसमें रोस्टर जारी करने की भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। इसमें क्या कोई दोराय है। इसके बाद हिमाचल सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा उस रिआगेनाईजेशन ऑफ पंचायत का प्रोसैस शुरू कर दिया, जिसे सरकार द्वारा

कुछ माह पहले डेफर किया गया था। रिआगेनाईजेशन ऑफ पंचायत के लिए कोई नियम नहीं, कोई प्रावाान नहीं, जहां कांग्रेस सरकार के लोगों को, कर्णधारों, विधायकों, मंत्रियों को लगा वहां पर पंचायते बना दी गई। ...(व्यवधान) पंचायतों के चुनावों पर ही आ रहा हूं अगर रिऑरगनाईजेंशन होगी तभी रोस्टर लगेगा। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब में रोस्टर की बात करता हूं।

अध्यक्ष जारी....श्री टी0सी0वी0 जारी

01.04.2026/1140/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी

अब मैं रोस्टर की बात करता हूं। ...(व्यवधान) रोस्टर ही तो प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष : जो 5 प्रतिशत डिस्क्रिशन पावर उपायुक्तों को परिवर्तन करने को दी है आप उस विषय पर आएं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं लेकिन पृष्ठभूमि बताना भी आवश्यक है। यह विषय चर्चा में आएगा इसलिए इसका संदर्भ देना जरूरी है। ...(व्यवधान) अब यह कैसे अलाउ होगा?

अध्यक्ष : अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। आप नियम-67 के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में बोलिए फिर मैं डिसीजन दूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा आपने अलाउ कर दिया। ...(व्यवधान) दिनांक 31 मार्च को पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण का रोस्टर जारी होना था। हिमाचल प्रदेश का बच्चा-बच्चा इंतजार कर रहा था कि रोस्टर कब जारी होगा और उसकी पंचायत किस श्रेणी में जाएगी परंतु रोस्टर जारी होने के बजाय शाम को बैक डेट में एक नई अधिसूचना जारी कर दी गई। दिनांक 30 मार्च, 2026 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सदस्यों के आरक्षण, पंचायत समिति तथा जिला

परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों के आरक्षण, ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण तथा पंचायत समिति अध्यक्षों के पदों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित किया गया। सरकार ने एक निर्णय ले लिया जो इस अधिसूचना के तहत जारी किया गया है। दिनांक 30.03.2026 की अधिसूचना के तहत किए गए संशोधित प्रावधान के अनुरूप उपायुक्त को यह अधिकार दिया गया कि वह भौगोलिक एवं अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ग्राम पंचायत या संबंधित पद के कुल स्थानों के 5 प्रतिशत तक रोस्टर में परिवर्तन कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 243(D) में आरक्षण और रोस्टर का स्पष्ट प्रावधान है। उस रोस्टर को बदलने की किसी को शक्ति नहीं है। यदि इसमें परिवर्तन

करना था तो विधान सभा में संशोधन लाया जाना चाहिए था परंतु आपने ऐसा न करके संविधान के अनुच्छेद 243(D) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

दूसरा, अनुच्छेद 243(K) में यह प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का बदलाव, चाहे वह आरक्षण से जुड़ा हो या अन्य विषय से हो, उसे विधायिका से पारित करवाना आवश्यक होता है। इन दोनों संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सरकार ने इनकी धज्जजियां उठाने का कार्य किया है जिनकी हम कड़ी निंदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पंचायती राज एक्ट का रूल-183 कहता है कि 'The State Government may, by notification in the Official Gazette and in consultation with the State Election Commission, make rules for the composition of Panchayats, conducting the election, issue of symbols and all matters relating to it.' सरकार ने इससे पहले भी निर्णय लिया था कि जो पंचायतें दो बार आरक्षित रही हैं,उन्हें अनारक्षित किया जाए। इसमें न तो राज्य निर्वाचन आयोग को विश्वास में लिया गया और न ही जनता से कोई परामर्श किया गया।

अध्यक्ष : वह विषय तो आ गया है और समाप्त हो चुका है।

श्री रणधीर शर्मा : इस विषय में भी राज्य निर्वाचन आयोग से कोई सलाह या मशवरा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज एक्ट में यह भी प्रावधान है कि 'All rules shall be subject to the condition of previous publication.'

एन0एस0 द्वारा ... जारी

1-4-2026/1145/NS-AS/1

श्री रणधीर शर्मा------जारी

अगर कैबिनेट ने रूल्ज में अमेंडमैंट करनी है तो वह अमेंडमैंट करके पब्लिसाइज करेगी, लोगों के ऑब्जैक्शन्ज आएंगे और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन निकलेगी। ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। रात के अंधेरे में 10 बजे रोटेशन से फाइल अप्रूव करवा कर अधिकारियों को रात को बुलाया गया जिन अधिकारियों को रात को निपटने की बात कर रहे थे। उन अधिकारियों को रात को बुला कर तानाशाहीपूर्ण अधिसूचना जारी हुई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यह पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के भी खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 234 की भी उल्लंज्ञना करते हैं। रिजर्वेशन रोस्टर की जो मूल भावना थी वह भी पूरी नहीं होती। उसमें भी विघ्न पड़ने वाले हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि नियम-67 में इस पर चर्चा लगाई जाए जिसमें हमारे माननीय सदस्य भी बोलें, हमारे सदस्यों से भी सुझाव लें और अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बोलना है तो ये भी बोलें और इस विषय का हल निकले क्योंकि सरकार की मंशा है कि इस तरह के टिकटे टोलिए डिसीजन्ज लिए जाएं और लोग कोर्ट में चले जाएं तथा ये चुनाव रोक दिए जाएं। सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि इनको पता है कि इनके समर्थित लोग हारने वाले हैं।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप उसके बाद बोलना, अब रूलिंग नहीं, let me hear him also. जब दोनों पक्षों को सुन लूंगा रूलिंग तभी दूंगा। ...(व्यवधान)

आपको भी सुनूंगा, let me hear him. ...(Interruption) इसके बाद आपको भी सुनूंगा। अभी माननीय राजस्व मंत्री जी बोलेंगे then I will allow Hon'ble Leader of the Opposition, then I will allow the Hon'ble Chief Minister, thereafter I will give my decision. ...(Interruption) You can't force me to give ruling at the moment. I have decided the order. ...(Interruption) Please take your seats.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्नकाल के शुरू में ही कहा और इन्होंने आपके निर्देशों के भी पालना नहीं की। ये कभी किसी डायरेक्शन को नहीं मानते हैं, न कभी नियमों को मानते हैं। अब प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण होता है लेकिन इन्होंने आज उसकी भी बलि

1-4-2026/1145/NS-AS/2

चढ़ा दी। इन्होंने प्रश्नकाल की बलि चढ़ा दी और फिर ...(व्यवधान) इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने मांगा सिर्फ नियम-67 पर चर्चा की जाए...(व्यवधान)

Speaker : Please, please no interruption. Please listen to the Hon'ble Revenue Minister carefully.

राजस्व मंत्री : नियम-67 के पीछे खड़े होकर श्री रणधीर शर्मा जी ने जो बात कहनी थी सब कह दी। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब इनके पास क्या बचा है? इन्होंने भूमिका बांध दी।

अध्यक्ष : आप उसका रिज्वाइडर फाइल कर दो।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले तो यह जवाब देता हूं कि रात के अंधेरे में जो फैसले लेते हैं (***)। आपको याद होगा। ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Revenue Minister, please, no reference of the Hon'ble Prime Minister.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात मानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई माह तक चुनाव करवा दीजिए और हमने भी कब कहा कि मई के बाद करेंगे। हमारा

पहले ही स्टैंड था कि हम मई तक चुनाव करवाएंगे क्योंकि पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त था और डिजास्टर एक्ट लगा था। उस एक्ट के चलते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की बात मानी और कहा कि ठीक है, आप मई तक चुनाव करवाओ। वहां कहां हम रोकने वाले थे? अध्यक्ष महोदय, जबकि भाजपा शसित प्रदेशों जैसे हरियाणा या गुजरात में जाएं तो वहां 2 वर्षों तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ही नहीं हुए। हम तो चुनाव करवा रहे हैं। ...(व्यवधान) आप हिमाचल की बात कर रहे हैं और मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

1-4-2026/1145/NS-AS/3

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी, आप इसको जस्टिफाई करें कि why this amendment is required जब मैं फाइनल डिसीजन दूंगा उसके बाद करना।

राजस्व मंत्री : मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। पंचायती राज में अगर 5 प्रतिशत एक डिस्क्रिशन छोड़ते हैं क्योंकि हमारा रोस्टर या जो सिस्टम है तो हमें वर्ष 2011 की जनगणना को लेना पड़ रहा है। अदरवाइज नया सेंसिज अब लगा है। अगर

आर0के0एस0 द्वारा -----जार

01.04.2026/1150/RKS/yK-1

राजस्व मंत्री जारी....

हम कहें कि हमें वर्ष 2011 की जनगणना से जस्टिस नहीं मिलने वाला है तो हमें वर्तमान जनगणना का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लेटैस्ट जनगणना का कार्य वर्ष 2027 के बाद पूर्ण होगा और फिर हमें पंचायती राज चुनावों को डेफर करना पड़ेगा। जो 5 प्रतिशत रिजर्वेशन रखी गई है यह इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में रिजर्वेशन में बदलाव होते रहे हैं। हमें इससे भी बाहर निकलना होगा। कई जगह किसी कारणवश रिजर्वेशन ही नहीं हुई

है। इसलिए हमने बीच में एक विंडो रखी है ताकि सबके साथ जस्टिस हो सके। अगर इसमें कोई कमी आती है और लगता है कि discretion का उपयोग discriminatory तरीके से किया गया है तो उसकी अपील होगी। ... (व्यवधान) लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर यह कहना बिल्कुल गलत है। अगर इसमें किसी कम्यूनिटी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है और उसकी भी अपील होगी। बिना अपील के कोई भी काम नहीं होता है। यह विषय इतना अर्जेंसी का नहीं है कि इसे नियम-67 के तहत उठाया जाए। आप इस विषय को नियम-62 या नियम-130 के तहत लाते लेकिन प्रश्नकाल की बलि देना इनकी रोज़ की आदत है। क्योंकि जब ये लाइमलाइट में आएंगे या सभी नियमों को तोड़ेंगे तभी ये प्रेस में आएंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह विषय नियम-67 में लाना बनता ही नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष। Only to the extent, ठाकुर साहब, जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने जस्टिफाई किया है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि Reservation Roaster under the Constitution provisions में एक मेंडेट है और यदि यह करना है तो इसमें रूल्स की यह रिक्वायरमेंट है। ये कह रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जनगणना नहीं हुई है। लेटेस्ट जनगणना की जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक विंडो उपायुक्त महोदय को दी गई है कि जहां कहीं कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन आए कि कहीं proportion of the population reserve category का इंक्रीज हुआ है तो उस परिस्थिति में Deputy Commissioner will use his discretion in 5 per cent, that may be in only 2-3 Panchayats. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

01.04.2026/1150/RKS/yK-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब से सुक्खू जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है तब से लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। हर बात की जलेबी बना रखी है। यह कहीं भी उचित नहीं है। लोकतंत्र की मूल इकाई हमारे पंचायती राज संस्थान हैं। अगर हम लोकतंत्र के प्रति थोड़ा भी सम्मान का भाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हमें नियम-67 के अंतर्गत यह नोटिस इसलिए देना पड़ा है क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं।श्री

रणधीर शर्मा जी ने संविधान के अनुच्छेद 243 (D) का जिक्र किया है। उसमें स्पष्ट है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर होगी। इसके अतिरिक्त किसी को कोई discretion नहीं दी गई थी। पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव से पहले जो डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाता था उसके आधार पर ऑटोमेटिक रिजर्वेशन का रोस्टर बनकर आता था। जहां महिलाओं की ज्यादा जनसंख्या होती थी वहां महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती थी और जहां एस0सी0 की जनसंख्या ज्यादा होती थी, उसके हिसाब से वह वार्ड एस0सी0 के लिए निर्धारित होता था।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा। श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रोविजन रेफर किए हैं मैं उनसे सहमत हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह प्वाइंट उठाया है कि हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं। जो आज नई जनगणना शुरू हो रही है उसके लेटेस्ट आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसके ऊपर संविधान में साइलेंट प्रोविजन है कि आपने लेटेस्ट सेंसस के आंकड़े लेने हैं या पूर्व के। यह रोस्टर तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आएगा लेकिन वर्ष 2026 की जनगणना अभी अवेटिड है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.04.2026/1155/बी.एस./एच.के.-1

अध्यक्ष जारी...

तब उस परिपेक्ष में नेगी जी का जो पॉइंट है उसमें वजन है क्योंकि विंडो जो है एक डिप्टी कमिश्नर को 5 प्रतिशत की पावर दी गई है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? यह जो लेटेस्ट सेंसेज है इसको ना देखा जाए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी क्लीयर व्यवस्था है इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है और इसमें मैशअप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लगता कि कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसमें जो एक्जिस्टिंग है चुनाव उसके आधार पर होता है। एक्जिस्टिंग वर्ष 2011, हमारे पास जो सेंसेज हैं उसके आधार पर कार्य होना चाहिए। उसके

बाद नया सेंसेज कंप्लीट होने के बाद नोटिफाई होगा। उसके बाद अगला सेंसेज बेस बनेगा। अभी तक हमारी सारी चीजों के लिए चाहे जो भी रिजर्वेशन का विषय है उस पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जो पापुलेशन का डाटा किसी चीज में इस्तेमाल होता है वह बेस 2011 का सेंसेज है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी है कि अगर 5 प्रतिशत की डिस्क्रिशन दे रहे हैं तो पहली बात यह है कि क्यों दे रहे हैं? क्या कोई रह गए हैं, मित्र रह गए हैं जिनको पंचायत का चुनाव प्रधान बनना है, जिला परिषद का मेंबर बनना तो आप स्पष्ट कर दीजिए। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं होता है।

दूसरी बात, अगर आपने डी0सी0 को 5 प्रतिशत की पावर दे दी और उन्होंने महिला के लिए आरक्षित सीट को जनरल कर दिया तो महिला की सीट कौन सी रिजर्व होगी? वह कहां किस कोने में चले जाएंगे इसका आपने आकलन किया है क्या? सरकार को किसी के अधिकार को, नेचुरल जस्टिस को तार-तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

और लोकतंत्र बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में है। मुख्य मंत्री जी चुनाव नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए डिजास्टर एक्ट लगाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए

1.04.2026/1155/बी.एस./एच.के.-2

उसके बाद उसमें फैसला आया। जो चुनाव हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बाधित करने का प्रयत्न किया जाए।

अध्यक्ष : आदरणीय ठाकुर साहब, आप इस बात को क्लीयर करिए कि इसे एक्सेप्ट किया जाए?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसे स्वीकार किया जाए। इसमें कोई तर्क नहीं है। (***) मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इतना तो छोड़ दीजिए कि हर जगह इस प्रकार से दखलअंदाजी करना उचित नहीं है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। (***)

मुख्य मंत्री : मैं कहना चाहता हूं किः-

हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।

हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।

मेरी कोशिश है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष निश्चिंत रहे, आपने जिस काम के लिए नियम 67 के तहत सदन में प्रस्ताव लाया उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं की। ज्यादा राजनीतिक भाषण किया और प्रतिपक्ष के नेता तो एक लाइन गुस्से में बोलकर ही आजकल पूरी करते हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, अभी तो प्रस्ताव के लिए अनुमति ही नहीं दी है।

मुख्य मंत्री : मैं वहीं आ रहा हूं, अभी एडमिट की बात तो बाद की है, नियम 67 के तहत भी रूल्स है। उसके हिसाब से आपको बात करनी चाहिए थी। यह 5 प्रतिशत रिजर्वेशन क्यों हुआ और क्यों डी0सी0 को पावर दी? यह भी चर्चा होती। मैं पहली बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...आदरणीय रणधीर जी वैसे तो आपको विपक्ष का नेता होना चाहिए था, बुरा मत मानना, ठीक है, आप धीरे-धीरे लगे हुए हैं परंतु अब समय कम रह

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

01.04.2026/1155/बी.एस./एच.के.-2

गया है। जब आप बोलते हैं, जब आप हमारा नाम लेकर बोलते तो सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। ...(व्यवधान) अच्छा आदरणीय बिक्रम जी को विपक्ष का नेता होना चाहिए था। ये आपका नाम काट रहे हैं।...(व्यवधान).

मुख्य मंत्री : मैं तो बन चुका है आप तो बनने की ट्राई कर रहे हैं। मैं तो बन चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं, नाम लेकर बोला ना? मैं यह कह रहा हूं, आप गुस्सा क्यों होते

हैं? मैंने आदरणीय रणधीर शर्मा जी का नाम गलत लिया, अच्छा मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर नहीं जाता। क्योंकि हम प्रदेश में सेवा भाव के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

1.4.2026/1200/DT/YK-1

मुख्य मंत्री... जारी

हम प्रदेश में सेवा भाव के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपको 5 साल का समय मिला था और आपने इन पांच सालों में प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहां 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव होंगे। इसमें कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो वह अलग बात है लेकिन यहां 31 मई से पहले चुनाव हो जाएंगे। ...(व्यवधान) परंतु यहां 31 मई से पहले कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय हमें संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। संविधान हमें रिजर्वेशन का अधिकार देता है। रोस्टर लागू करने का अधिकार राज्य सरकार का है। ...(व्यवधान) यह कानून है, आपने कानून की पढ़ाई नहीं की है। ...(व्यवधान) आप बैठे-बैठे बोलने लग जाते हैं। ...(व्यवधान) मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आप ब्लड प्रेशर की थोड़ी हैवी डोज लेकर आया करो। मैंने कितनी बार कहा कि इनको आइस वाला पानी रख करो, ये बैठे-बैठे बोलने लग जाते हैं। आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। जब ये बोल रहे थे तो मैं उस समय बैठा था लेकिन ये बैठे-बैठे बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय हमने ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए वर्ष 2000 में आरक्षण लागू किया। वर्ष 1990-95 के सर्वे में यह बात आई थी कि ओ0बी0सी0 के लिए सीट तो रिजर्व होगी लेकिन ओ0बी0सी0 की पोपुलेशन वहां नहीं है। अध्यक्ष महोदय आप बहुत अच्छा कानूनी सवाल पूछ रहे थे लेकिन हम ओ0बी0सी0 रिजर्वेशन के लिए वर्ष 1990-95 की जनगणना को आधार मान रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जो सीट ओ0बी0सी0 के लिए रिजर्व हुई वहां पोपुलेशन ही नहीं है। सबसे पहले अनुसूचित जाति को फिर एस0टी0 को फिर ओ0बी0सी0, फिर महिलाओं को कानून में आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन यह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि कानून तार-तार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि

अगर 31 जनवरी से पहले चुनाव होते तो विंटर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई इफैक्ट होती क्योंकि उस समय पेपर चले हुए थे। अगर चुनावों में टीचर्स की ड्यूटी लग जाती तो बच्चों की पढ़ाई इफैक्ट होती। अगर हम अप्रैल में इन चुनावों को करवाते तो अप्रैल में मैट्रिक व प्लस टू के सी0बी0एस0ई0 बोर्ड और कॉलेज स्टूडेंट के इग्जाम होते हैं। इसलिए चुनाव करवाने के लिए मई ही उचित महीना है। ...(व्यवधान) हमने डिजास्टर एक्ट लगाया था।...(व्यवधान) आप कोरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप गलती पर गलती कर रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष के बोलने के बावजूद भी आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।...(व्यवधान)

1.4.2026/1200/DT/YK-2

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी आप जिस प्वाइंट को इलोबोरेट कर रहे हैं उस पर ही अपनी बात करें।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खुद एफिडेविट दिया है कि हम 31 मई से पहले इलैक्शन करवाएंगे। अगर किसी पंचायत में ओ0बी0सी0 उम्मीदवार के लिए कोई सीट रिजर्व होती है और वहां ओ0बी0सी0 की पोपुलेशन न हो तो हम वहां किससे चुनाव लड़ाएंगे। एसी परिस्थिति में हमने कहा कि 5 प्रतिशत तक का प्रावधान होगा। हम इसे 25 प्रतिशत भी कर सकते थे। अगर हमने चुनावों को प्रभावित करना होता तो हम 25 प्रतिशत का प्रावधान भी कर सकते थे। हमने 5 प्रतिशत इसलिए किया क्योंकि

श्री एन0जी0द्वारा जारी..

01.04.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

हमने 5 प्रतिशत इसलिए किया क्योंकि इक्का-दुक्का जो पंचायतों के लिए जहां डी0सी0 यह समझता है कि वहां की पॉपुलेशन कम है या नहीं है, उन्हें ओपन करने का अधिकार हमने डी0सी0 को दिया है। हमने यह अधिकार उन्हें कानून के आधार पर दिया है। हमारी कैबिनेट के पास डी0सी0 को इस प्रकार के अधिकार देने की ताकत है ताकि वह उस ताकत का इस्तेमाल करके आगे निर्णय ले सके। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है। विपक्ष के लोगों को लग रहा है कि पंचायत चुनावों को टालने के कारण किया है। हमारी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है और उसमें साफ-साफ लिखा है कि हम चुनाव करवाएंगे। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आई है। मैं इस सभा पटल पर यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव जरूर होंगे। जहां पर ओ0बी0सी0 को आरक्षण देने की जरूरत होगी, उस सेंसस को, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण किया जाए, हम उसी के आधार पर करवाएंगे। लेकिन कई जगह सर्वे में ओ0बी0सी0 को दिखाया गया है, जबकि वहां वास्तविक पॉपुलेशन ही नहीं है। इसलिए हमने 5 प्रतिशत की ताकत डी0सी0 को दी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा काम राजनीति करना नहीं है। हमारा काम प्रदेश की व्यवस्था को बदलना है। लेकिन जब भी व्यवस्था बदलने की कोशिश होती है तो इन्हें हर जगह समस्या होती है। मैं कहता हूं कि आप (माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहा) समस्या पर थोड़ा सोच-समझकर काम करें और आदेशों को पूरा पढ़कर आइए। अब आप कहेंगे कि पढ़ने का ज्ञान आपको ही है—सही है, क्योंकि हम पूरा पढ़कर आते हैं। हम जब भी कोई कानून बनाते हैं तो ज्ञान और समझ के आधार पर बनाते हैं। आपकी तरह बीच में खड़े होकर प्रश्न नहीं करते और फिर आप गुस्से में आकर बोलने लग जाते हैं।...(व्यवधान)

01.04.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./2

सरकार किसकी होती है? सरकार किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होती, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वे संविधान के अनुसार चुने हुए होते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। मैं आपके गुस्से का बुरा नहीं मानता और आज भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपके आपसी तनाव के कारण हैं और पांच गुटों के कारण हैं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा अपने स्थान पर खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से अपनी बात रखने की अनुमति मांगने लगे।)

अध्यक्ष : नियम-67 के अंतर्गत जो ...(व्यवधान) एक मिनट आप बैठ तो जाइए।...(व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान) बैठ तो जाइए।...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट when the Speaker start speaking everybody is to listen. ...(व्यवधान) हमारे रूल्ज़ ये हैं कि when Speaker speaks everybody is supposed to listen, when Speaker stand everybody is supposed to sit. But when Speaker speaks even then there is an interruption. I should not say but I am forced to say this. ऐसा है, नियम-67 के अंतर्गत बहुत ही गम्भीरता से जो तथ्य यहां पर माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा ने रखे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ तथ्य रखे और सत्ता पक्ष से माननीय राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी व माननीय मुख्य मंत्री ने अपने विचार रखे हैं। मैं यह महसूस करता हूं, एक तो मैंने जो रूलिंग नवम्बर-2025 में दी थी कि नियम-67 के मोशन को हम आगे से प्रश्न काल के बाद लेंगे, मैं उसको रिव्यू कर रहा हूं। Now the Motion under Rule-67 will be discussed at the initial stage before starting the Question Hour, I am reviewing my old Ruling. Now, today on the issue under Rule-67, after hearing both the sides very carefully, I am of the view that the explanations which have been given by the Hon'ble Revenue Minister and the Hon'ble Chief Minister has a weight. Therefore, this discretion to the Deputy

01.04.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./2

Commissioner which is to be applied in a rational manner within the 5 per cent raise is in the larger interest of the Panchayati Raj System and in the larger interest of the reservation roster. Therefore, I am hereby rejecting the Motion under Rule-67. ...(Interruption)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम-67 के प्रस्ताव को निरस्त करने के विरोध में शोरगुल करने लगे।)

और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगली

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

01.04.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष जारी .....

जो आइटम है, क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है और शून्य काल के मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं। I am deferring all these issues for tomorrow. अब मैं आइटम नंबर दो टेकअप कर रहा हूं। कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

(दिन के लिए निर्धारित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।)

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860, XVI के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25।

01.04.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0/-02

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, क्या अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे? He doesn't want to raise his issue under Rule 62.

अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया (उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "जिला कांगड़ा में एकमात्र ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन होने से जिला के निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।"

(विपक्ष के सभी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन पर आज मेरा प्रश्न भी लगा था। जिसमें बिलासपुर, नालागढ़, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर इसी तरीके से प्रदेश की छः जगहों पर ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन वर्तमान सरकार ने लगाए हैं। प्रदेश में खासकर हमारे ट्रक, बसें और ऑटोज के लिए यह फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है। अब एकमात्र ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन जिला कांगड़ा के अंदर गाहलियां में लगाया गया है। वैसे जो मैंने प्रश्न लगाया था ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन के बारे में मुझे विभाग की तरफ से इसका उत्तर आया है और मैंने इसे पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से संचार क्रांति आई थी जिसमें व्हाट्सएप, मोबाइल आदि आया है। उसी तरीके से अब वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से होगी। इस ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेश में मैं दो या तीन बार जा चुका हूं। जब गाड़ी इस ऑटोमैटिक

टेस्टिंग स्टेशन के अंदर जाएगी तो पांच-से-सात मिनट के अंदर ही गाड़ी के अन्दर का फॉल्ट की जानकारी ऑनलाइन हमें मिल जाएगी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी एकदम ऑनलाइन हो जाती है। इस विषय को नियम-62 में इसलिए लाया गया है कि क्योंकि अब गाड़ियों के लिए भी ए0टी0एस0 (ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन) स्थापित किये गये हैं। अलग-अलग जगहों की अथॉरिटी आर0एल0ए0 के पास है। शाहपुर, धर्मशाला, नगरोटा, पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर, नुरपुर, ज्वाली और इंदौरा में भी थी। अब ये सारी गाड़ियां

ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन गाहलियां आ रही हैं। इससे ट्रांसपोर्टरों को समस्या यह आ रही है कि इसकी फीस ऑनलाइन है। मेरे प्रश्न का डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है कि दस हज़ार रुपये की फीस ली जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत लंबी कतारें लग रही हैं। क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र लंज और देहरा विधान सभा क्षेत्र के बीच में है। मैं चाहूंगा कि इसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि यह वक्त की नज़ाकत है। लेकिन जब तक यह पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता, तब तक चाहे आप शाहपुर के अंदर आर0एल0ए0 खोलने की बात हो या अलग-अलग सब-डिविज़नों में कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाए।

श्री टी0सी0वी द्वारा जारी.....

01.04.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री केवल सिंह पठानिया..... जारी

विभाग द्वारा यह बताया गया है कि अब इसकी फीस 10,000 रुपये ऑनलाइन ली जाती है लेकिन इसके साथ-साथ बहुत लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह-सुबह 100-200 गाड़ियों की लाइन लग जाती है, खासकर रानीताल के पास यह स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को तत्काल स्ट्रीमलाइन किया जाए। जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह वैल इक्विप्ड नहीं हो जाती, तब तक शाहपुर में आर0एल0ए0 खोलने और अन्य सब-डिवीजनों में वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसलिए अलग-अलग स्थानों पर आर0एल0ए0 खोलकर ट्रांसपोर्टरों को राहत दी जाए। मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी?

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विभिन्न ट्रांसपोर्टरों की मांग को यहां माननीय सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्य मंत्री को उचित संबोधन न करके (***) कहकर संबोधित किया गया, वह कार्यवाही से हटाया जाए। इसके साथ ही भविष्य में भी माननीय सदस्य इस

सदन की गरिमा का ख्याल रखें क्योंकि मुख्य मंत्री को इस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता।

Speaker: That is already removed.

उप-मुख्य मंत्री : दूसरा, नेता प्रति पक्ष ने वॉकआउट से पहले कहा कि (***) काम किया है। यह भी कार्यवाही का पार्ट नहीं हो सकता है।

Speaker: This will not be part of the record. I have not taken cognizance of that also. Whatever he has said, that is in off mic. That is not a part of the record.

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया

01.04.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर का मुद्दा उठाया गया है। पहले गाड़ियों की पासिंग मैनुअल तरीके से होती थी जिसमें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर गाड़ियों को पास करते थे लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन हुआ है और ऑटोमैटिक प्रणाली उसका स्थान ले रही है।

मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में 5 ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं और वे लगभग बनकर तैयार भी हो चुके हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने उल्लेख किया कि रानीताल में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जहां गाड़ी एक बार मशीन में जाने पर उसके सभी फॉल्ट्स एक साथ ज्ञात हो जाते हैं। यदि पहली बार में गाड़ी पास नहीं होती है तो उसे एक और अवसर दिया जाता है। यदि दूसरी बार भी गाड़ी पास नहीं होती है तो उसे स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की भारत सरकार द्वारा सराहना भी की गई है कि हम उनके मानकों पर खरे उतर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त हुई है।

माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया कि कांगड़ा में ए0टी0एस0 खुलने के बाद पहले जहां विभिन्न स्थानों पर पार्सिंग होती थी, अब सभी कमर्शियल व्हीकल्स को रानीताल लाना पड़ता है और इस पर आपत्ति जताई जा रही है कि इतनी दूर गाड़ियां लाना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गाड़ी को दो वर्ष में केवल एक बार वहां लाना होता है जबकि ये गाड़ियां नियमित रूप से दिल्ली, आगरा और अन्य स्थानों तक चलती हैं। ऐसे में यदि गाड़ी पालमपुर, कांगड़ा या धर्मशाला से आनी है तो यह साल में एक बार आनी है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गाड़ी ए0टी0एस0 के बाहर पास नहीं की जानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि

01.04.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-3

जब तक सभी स्थानों पर ए0टी0एस0 स्थापित नहीं हो जाते, तब तक इसमें कुछ राहत दी जाए। इसके बारे में केन्द्र सरकार ने कहा है कि सोलन और शिमला में जहां ए0टी0एस0

स्थापित नहीं हुए हैं वहां की गाड़ियां देहरादून में पास करवाई जाएं, लेकिन राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि गाड़ियां प्रदेश से बाहर नहीं भेजी जा सकतीं। हमारा बद्दी का टैस्टिंग स्टेशन बनकर शीघ्र तैयार हो जाएगा। बद्दी में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और नालागढ़ में निजी क्षेत्र के माध्यम से स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नादौन और हरोली में भी ए0टी0एस0 स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं जो पहले से सैंक्शन्ड हैं। कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी लाया जा रहा है कि 5 के अतिरिक्त और स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाए ताकि सभी जिलों में जल्द-से-जल्द ए0टी0एस0 स्थापित किए जा सकें। यह क्रम चल रहा है, इसका

एन0एस0 द्वारा ... जारी

1-4-2026/1220/NS-AS/1

उप-मुख्य मंत्री ------जारी

हालांकि बहुत फायदा है। ये नदौन व हरोली में भी बनने हैं और ये पहले से ही सैंक्शंड है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने तो उसका काम भी रुकवा दिया कि अभी मैन्युअल चलने दो। अल्टीमेटली, पूरे देश में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन्ज लगने हैं। अभी तक तो सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है। इसके बाद डोमेस्टिक व्हीकल, आपकी कारें, मोटरसाइकिल आदि जो भी एम0वी0आई0 के पास जाती हैं तो वह मैन्युअल की बजाय ऑटोमैटिक होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी नए टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। तब तक हम हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि वे सभी हमारे साथ को-ऑपरेट करें, बियर करें। यह केंद्र के साथ भी जुड़ा हुआ मसला है। हम उनकी डायरेक्शन्ज पर भी काम कर रहे हैं। जैसा पिछले कल यहां पर कहा जा रहा था कि हमें केंद्र सरकार से इतना पैसा आएगा। यह इनामात की राशि है। यह पैसा ट्रांसपोर्ट विभाग को तभी आएगा अगर हम इस पर प्रणाली पर काम करेंगे। सास्की (Special Assistace to States for Capital Investment) के तहत ही आता है और यह पैसा भी हमें तभी आएगा। इसलिए हम और टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हमारी प्रणाली पूरे संसार के साथ देश को चलाने और हिमाचल को भी उसमें शामिल करने की है तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को-ऑपरेट करेंगे। रानीताल का ऑटोमैटिक टेंस्टिंग स्टेशन चल रहा है। हमें कांगड़ा और चंबा में और ए0टी0एस0 स्थापित करने पड़ेंगे। सारे जिलों में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, एक-एक ऑटोमैटिक टेंस्टिंग स्टेशन स्थापित हो जाए और बड़े जिलों में दो- तीन ए0टी0एस0 स्थापित हो जाएं, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

1-4-2026/1220/NS-AS/2

विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को पारित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को पारित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को पारित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को पारित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को वापिस करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को पारित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) वापिस हुआ।

1-4-2026/1220/NS-AS/3

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अब विधायी कार्य होगा। अब मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापति करेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) पुरः स्थापित हुआ।

1-4-2026/1220/NS-AS/4

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा प्राधिकृत नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

आगे ------आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.04.2026/1225/RKS/एएस-1

नगर एवं ग्राम योजन मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मन्त्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापति करेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पुरः स्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

लोक निर्माण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5)को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

01.04.2026/1225/RKS/एएस-2

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मन्त्री हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरः स्थापति करेंगे।

लोक निर्माण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पुरः स्थापित हुआ।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

01.04.2026/1225/RKS/एएस-3

इस संशोधन पर माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। क्या कोई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस पर कोई भी सदस्य भाग नहीं लेना चाहता।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खंड 2 पर सरकार की ओर से संशोधन आया है जिसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं, जो इस प्रकार हैः-

Page	Clause	Sub-Clause	Line	Amendment
1	2. Amendment of section-6	(b)	11	For the figure"10,000", the figure "15,000" shall be substituted.

अब खंड 2 पर माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं और फिर इस चर्चा का जवाब माननीय मुख्य मंत्री देंगे। क्या कोई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहता है? मुझे लगता है कि कोई भी सदस्य इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता है।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन सरकार की ओर से आया है उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन स्वीकार

खण्ड 2 संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4 व 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) संशोधित रूप में पारित हुआ।"

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.04.2026/1230/बी.एस./एच.के.

अध्यक्ष जारी...

<u>नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव</u>

अब नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव चर्चा में लाए जाएंगे। अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

श्री जीत राम कटवाल : उपस्थित नहीं।

नियम-61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा

अध्यक्ष : अब नियम-61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा होगी। माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 3895 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती दिनांक 28 मार्च, 2026 को अतारांकित प्रश्न संख्याः 1640 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपस्थित नहीं।

अब इस माननीय सदन की बैठक 02 अप्रैल, 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 **सचिव।**